

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

32

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएएस)  
प्रकरण संख्या:- 113/16

दायर दिनांक:- 29.07.2016

जीसीएमएस नं. 2016/00755

उनवान

गोविन्द पुत्र सम्पत बगै० जाति जाट निवासी महुखास तहसील हिण्डौन जिला  
करौली राजस्थान

—वादीगण—06

बनाम

विजेन्द्र पुत्र देवीसिंह बगै० जाति जाट निवासी महुखास तहसील हिण्डौन जिला  
करौली राज०

—प्रतिवादीगण—07

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:-

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में वादीगण एवं वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार वादीगण एवं वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बाबजूद वादीगण एवं वादीगण वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 06.10.2016 से आज दिनांक तक तलवाना में विचाराधीन है। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण एवं वादीगण वकील प्रकरण को आगे चलाने में रूचि नहीं ले रहे हैं। वादीगण एवं वादीगण वकील द्वारा न्यायालय आदेशों की अवहेलना की जा रही है। अतः मुकदमा न० 113/16 गोविन्द बनाम विजेन्द्र आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत अदम हाजिरी व अदम तकमील/पालना में खारिज किया जाता है।



यह निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हेमराज गुर्जर)

उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन, जिला करौली